तारीख हुक्म

30/9/2022

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। बावजूद तामिल अनु0 रहने से अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली में बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम धांधेला के खाता सं0 195 व 113 की खातेदारी में प्रार्थी के पिता के नाम मूला पुत्र दुलामामराज हिस्सा 1/2 गलत दर्ज है। जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम मालाराम उर्फ मूला पुत्र दुला है। तथा खातेदारी मालाराम उर्फ मूला पुत्र दुला हिस्सा 1/4 व मामराज पुत्र सीतला हिस्सा 1/4 जाति माली सही है। खतौनी बंदोबस्त संवत 2008–2027 में मामराज वल्द सीतला 1/4 व मूल्या वल्द दुल्या 1/4 दर्ज है। दौराने भूप्रबन्धन राजस्व कार्मिकों ने लिपिकीय त्रुटि से मूला पुत्र दुला हिस्सा 1/4 व मामराज पुत्र सीतला हिस्सा 1/4 के स्थान पर मूला पुत्र दुलामामराज हिस्सा 1/2 लिख दिया जबकि मूला व मामराज दो अलग–अलग व्यक्ति है। तथा प्रार्थी के सही नाम मालाराम के स्थान पर बोलता नाम मूला गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मृतक खातेदार मालाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र ,शपथ पत्र स्वयं का व शपथ पत्र रामगोपाल पुत्र घीसाराम, शपथ पत्र राजेन्द्र पुत्र मूलचन्द प्रस्तुत किया है साथ ही ग्राम पंचायत धांधेला द्वारा जारी प्रमाण पत्र 17.07.2020 भी प्रस्तुत किया है जिससे प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुष्टि होती है। प्रार्थना पत्र के संबंध में पटवारी राजपुरा की रिपोर्ट दिनांक 27.10.2021 द्वारा भी दुरुस्ती की अनुशंषा की गई है अतः प्रार्थना पत्र दुरुस्ती स्वीकार किया जाना उचित है।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मूला पुत्र दुलामामराज हिस्सा 1/2 गलत दर्ज

है। जबकि सही प्रविष्टी मालाराम उर्फ मूला पुत्र दुला हिस्सा 1/4 व मामराज पुत्र सीतला हिस्सा 1/4 की पुष्टि मृतक खातेदार मालाराम के मृत्यु प्रमाण पत्र ,शपथ पत्र स्वयं का व शपथ पत्र रामगोपाल पुत्र धीसाराम, शपथ पत्र राजेन्द्र पुत्र मूलचन्द, ग्राम पंचायत धांधेला द्वारा जारी प्रमाण पत्र 17.07.2020, पटवारी राजपुरा की रिपोर्ट दिनांक 27.10.2021 से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

## आदेश

प्रा0 पत्र0 123/2020
निर्णय दिनांक 30.09.2022

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैः–

| राजस्व ग्राम | भूमि का विवरण | वर्तमान प्रविष्टि | अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि |
|---|---|---|---|
| धांधेला | खाता सं0 195 व 113 | मूला पुत्र दुलामामराज हिस्सा 1/2 | मालाराम उर्फ मूला पुत्र दुला हिस्सा 1/4 व मामराज पुत्र सीतला हिस्सा 1/4 |

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)